

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

Email-dfo_chamawat_uta@yahoo.co.in

पत्रांक 1683 / 12-1

दिनांक, चम्पावत

29-11-2019

सेवा में,

वन संरक्षक
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:- वनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टनकपुर तवाघाट मोटर मार्ग से सिंगदा हेतु 3.915 है प्रस्ताव स0 FP/uk/road/39053/2019

संदर्भ:- आपका ई0डी0एस0 का दिनांक 4.11.2019

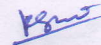
महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके संदर्भित आपत्ति के क्रम में प्रस्तावक विभाग से प्राप्त आख्या के आधार पर वांछित सूचना / आख्या निम्न प्रकार प्रेषित हैं:-

क्र०स०	आपत्तियाँ	निराकरण
1	प्रस्ताव में संलग्न सयुक्त निरीक्षण आख्या में 3.915 हे० आरक्षित वन भूमि प्रभावित होनी दर्शायी गई है, जबकि अन्य प्रपत्रों में 3.7015 आरक्षित वन भूमि प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है। स्थिति स्पष्ट करें।	प्रस्ताव विभाग से टंकण में त्रुटिवश वनभूमि 3.915 हे० प्रभावित दिखायी गयी है। जबकि वास्तविक प्रभावित वनभूमि 3.7015 हे० है। इस त्रुटि को सयुक्त निरीक्षण आख्या में शुद्ध कर लिया गया है। सयुक्त निरीक्षण की आख्या आनलाईन पार्ट 1 के पैरा में अपलोड कर दिया गया है।
2	प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार विषयांकित परियोजना के प्रस्ताव में 593 वृक्षों का पातन निहित है। प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र -4 एवं प्रपत्र -17 के अनुसार प्रस्तावित मोटर मार्ग में 593 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें केवल 593 वृक्षों का पातन किया जायेगा, 593 वृक्षों का पातन किया जायेगा, 593 वृक्षों को अन्यत्र रोपित किये जायेंगे का उल्लेख किया गया है। स्थिति स्पष्ट करें कि किन वृक्षों का अन्यत्र रोपित किया जाना है।	प्रपत्र 4 एवं प्रपत्र 17.1 टंकण त्रुटिवश 593 वृक्षों का पातन किया जायेगा एवं 593 वृक्षों को अन्यत्र रोपित किया जायेगा का उल्लेख किया गया है। जबकि वास्तविक रूपसे सभी प्रभावित 593 वृक्षों का पातन किया जायेगा। टंकण त्रुटि को शुद्ध कर लिया गया है तथा आनलाईन पार्ट 1 के पैरा में अपलोड कर दिया गया है।
3	एन०पी०वी० की गणना इको-क्लास व घनत्व के अनुसार की जाय।	एन०पी०वी० की गणना इको-क्लास व हरियाली घनत्व 0.4 के अनुसार की गयी है। जो रूपया 2569855.00 आंकलित की गयी है। ए०पी०वी० की गणना आनलाईन पार्ट 1 के पैरा में अपलोड कर दिया गया है।
4	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग-2 व 3 (सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी व वन संरक्षक द्वारा भने जाने वाले प्रपत्र) प्रस्ताव में संलग्न करें।	प्रपत्र भाग 2 प्रपत्र को भर लिया गया है। व 3 सम्बन्धित अधिकारी महोदय द्वारा प्रेषित किये जा रहे हैं।

अतः अनुरोध है कि प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करें।

भवदीय



(कुबेर सिंह विष्णु)

प्रभागीय वनाधिकारी

चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत